R-60/7-12

(84)

कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा
6 MAR 2013

क्र. 1190
दिनांक 1-4-13 को प्राप्त
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर (म०प्र०)

समक्ष न्यायालय श्रीमान ~~..................~~

...

R-1538-I/13

~~आवेदिका~~ :- किन्दो बाई पति गुलप्रसाद, जाति ढीमर, उम्र 45 वर्ष,
पुनरीक्षणकर्ता. व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-रमपुरी, तहसील चांद,
जिला छिन्दवाड़ा (म०प्र०).

विरूद्ध

उत्तरवादी :- रेवती बाई बेवा मेहतर, जाति गोंड, उम्र करीब 40 वर्ष,
निवासी-रमपुरी, तहसील चांद, जिला छिन्दवाड़ा.

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०संहिता 1959.

श्रीमान तहसीलदार महोदय चांद, प्रकरण-रेवती बाई विरूद्ध म०प्र०शासन, मौजा रमपुरी, रा०प्र०क्र०- 3/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक-7.2.13 से पीड़ित एवं दुखी होकर पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता का संक्षिप्त में प्रकरण यह है कि, मौजा रमपुरी स्थित खसरा नं०-190/1-अ, रकबा-0.745 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में शासकीय भूमि के नाम से दर्ज है। इस भूमि पर ग्राम पंचायत रमपुरी द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 26.1.1996 के तहत पुनरीक्षणकर्ता को इंदिरा आवास योजना के तहत 30x30=900 वर्गफुट भूमि का आवासहीन का पट्टा प्रदान किया गया और शासन की योजना के तहत पुनरीक्षणकर्ता को मकान निर्माण हेतु 45,000/-रूपये की राशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई। पुनरीक्षणकर्ता विगत 15-20 वर्षों से मकान बनाकर अपने परिवार के साथ निवास करते चली आ रही है। उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत रमपुरी के सरपंच और सचिव ~~.....~~ द्वारा वर्ष 1996 में हल्का पटवारी को बुलवाकर मौका नि

किन्दो

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1538—एक / 13 जिला -- छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25—5—16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 24—9—15 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	